प्रेस नोट दिनांक 09.03.2026

क्राइम ब्राइंच/ थाना किला बरेली।

क्राइम ब्राइंच/थाना किला #bareillypolice की संयुक्त टीम द्वारा जीएसटी फर्जीवाड़ा प्रकरण में करोड़ों के फर्जी आईटीसी रैकेट का खुलासा, 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- फरजान हाशमी प्रोपराइटर फर्म एफ0एस0 ट्रेडर्स पुत्र श्री अनवर हाशमी निवासी 103 बडा बाजार गरईया थाना किला बरेली द्वारा अस्तित्वहीन_फर्म एफ0एस0 ट्रेडर्स 103, बड़ा बाजार, गरईया, थाना किला बरेली जीएसटीआईएन-09BQYPH6156H2Z4 बनाकर अन्य फर्जी एव बोगस कम्पनी तथा व्यवसाइयों से मिलकर और अपने सहयोगियों से आपस मे साजिश करते हुये षड्यंत्र रचकर फर्जी व कूटरचित जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-2 तैयार करके उनके प्रयोग द्वारा आईटीसी क्लेम करते हुये राज्य कर विभाग से धोखाधडी कर रिफन्ड प्राप्त करते हुए सरकार को कुल रु0 5917093.00 की आईटीसी क्लेम कर राजस्व हानि पहुँचाई गयी। जिसकी राज्य कर विभाग द्वारा विभागीय जाँच के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट **मु0अ0सं0 433/2025 धारा 318(4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस** व 132 जी०एस०टी० अधिनियम थाना किला बरेली पर वादी श्री अनूप कुमार पुत्र महारानीदीन स्थाई निवासी वजिराबाद पोस्ट करोनदी तहसील सोराऊ थना सोराऊ जिला प्रयागराज हाल पता प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय - उपायुक्त राज्य कर खण्ड 06, 188 सिविल लाईन बरेली द्वारा दिनाँक 04/09/2025 पंजीकृत कराई गयी । विवेचना अपराध शाखा में गठित एसआईटी में निरीक्षक संजय कुमार धीर मुख्य विवेचक उप-निरीक्षक श्री वीरभद्र सिंह सहायक विवेचक, एसआईटी थाना किला, बरेली। द्वारा सम्पादित की जा रही है।

सूचना पुलिस टीम कार्यवाहीः- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध बरेली के कुशल नेतृत्व व पर्यवेक्षण में अभिलेखीय साक्ष्यों, साइबर एनालिसिस, मोबाइल में प्राप्त साक्ष्यों एवं विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्त 1- फरजान हाशमी प्रोपराइटर फर्म एफ0एस0 ट्रेडर्स पुत्र श्री अनवर हाशमी निवासी 103 बडा बाजार गरईया थाना किला बरेली 2- सद्दाम हुसैन पुत्र बाबू मियाँ निवासी 140 जखीरा थाना किला जिला बरेली उम्र 30 वर्ष व 3.. मो0 समद उर्फ शाहरूख पुत्र मो0 आसिफ उर्फ गुड्डू नि0 खन्नू मोहल्ला नाई मस्जिद के पास थाना किला जिला बरेली उम्र 29 वर्ष तथा अन्य एक और अभियुक्त प्रकाश में आये हैं । सद्दाम हुसैन को धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस व धारा 132 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 व मो0 समद उर्फ शाहरुख उपरोक्त को इनके अपराध धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/249/61(2) बीएनएस व धारा 132 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में दिनाँक 09/03/2026 को समय करीब 00.40 बजे थाना किला पर हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने नें फरज़ान हाशमी व अन्य साथियों से मिलकर विगत कई वर्षों से फर्जी फर्मों का सृजन कर, फर्जी इनवॉइस व ई-वे बिल के माध्यम से बोगस आईटीसी (Input Tax Credit) अन्य फर्मो के माध्यम से इस नेटवर्क का संचालन किया और उनके साथ मिलकर कूटरचित आईटीसी पास-ऑन कराकर जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के संगठित अपराध में संलिप्त रहा है। सद्दाम हुसैन के मोबाइल व्हाट्सप्प पर दिनाँक 07/10/2025 को 10.37 पीएम बजे प्राप्त मैसेज समद द्वारा भेजे हुए आडियो रिकार्डेड चैट बरामद हुआ जिसमें समद कह रहा है कि फर्म की लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो चेक करना हैं। फोन में अन्य व्हाट्सअप वॉइस काल भी मिली हैं। Annual के नाम से संरक्षित मोबाईल नं0 से अनेकों वौइस् काल व GSTIN/UIN –

09CWIPN1870K1Z0 AYAT TRAVELS का डिटेल भेजा गया है। Maulana के नाम से संरक्षित मो0नं0 में भेजे गये अकाउण्ट की डिटेल्स व लागइन व टी पासवर्ड आदि संदिग्ध डिटेल्स के बारे में पूछने पर बताया कि साहब मैं फर्जी जीएसटी फर्म बनवाकर देता हूँ शाहरुख को मैंने जीएसटी फर्म बनवाकर दी, जिसे हमने फरजान हाशमी के कहने पर बनवाया था। जो काल रिकार्डिंग मेरे फोन से मिली है उसकी एवज में मुझे रूपये मिले थे। । सद्दाम हुसैन नें यह भी बताया की मैंने फर्जी ID का सिम लेकर फर्म एफ0एस0 ट्रेडर्स का GSTR 3B रिटर्न भरा था और उसकी डिटेल्स फरजान हाशमी को भेजी थी। बाद में फ़ोन और सिम फरज़ान हाशमी ले गया था।
मो0 समद उर्फ शाहरूख पुत्र मो0 आसिफ उर्फ गुड्डू नि0 खन्नू मोहल्ला नाई मस्जिद के पास थाना किला जिला बरेली उम्र 29 वर्ष मो0नं0 ने पूछने पर बताया कि मैं फरजान हाशमी को काफी समय से जानता हूँ तथा फरजान हाशमी के कहने पर मेरे द्वारा फर्मों की जालसाजी का कम किया जता हैं। मैंने ही सद्दाम से फर्म का लॉगिन पासवर्ड माँगा था इसके फ़ोन में मिली रिकॉर्डिंग कॉल मेरी ही हैं। जिसे मैंने बाद में अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया था।

फर्म एफएस ट्रेडर्स के सम्बन्ध में पूछने पर सद्दाम हुसैन व मो0 समद उर्फ शाहरुख उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि एफएस ट्रेडर्स फर्म फरजान हाशमी ने अपने कागजात पर अपने एक और साथी के कहने पर बनायीं थी उसी नें सबसे पहले फर्म का GSTR 1 दाखिल किया था । सद्दाम हुसैन ने एक फर्जी ID का सिम लेकर फर्म एफ0एस0 ट्रेडर्स का GSTR 3B का दाखिल किया तथा मो0 असद उर्फ शाहरुख ने मुकदमा लिखे जाने पर फरजान हाशमी को छिपाने का कार्य किया था। फरजान हाशमी हमको अपना अपना हिस्सा नगद में दिया करता था। अभियुक्तों से पूछताछ व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित है कि सद्दाम हुसैन व मो0 समद उर्फ शाहरुख उपरोक्त अभियुक्त फरजान हाशमी व अन्य एक और अभियुक्त के साथ मिलकर संगठित होकर अपराध कारित कर रहे हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्यों को मिटाने व नामजद अभियुक्त फरजान हाशमी को छिपाने का कार्य किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. सद्दाम हुसैन पुत्र बाबू मियाँ निवासी 140 जखीरा थाना किला जिला बरेली उम्र 30 वर्ष।
2. मो0 समद उर्फ शाहरूख पुत्र मो0 आसिफ उर्फ गुड्डू नि0 खन्नू मोहल्ला नाई मस्जिद के पास थाना किला जिला बरेली उम्र 29 वर्ष।

<u>अपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 433/2025 अपराध धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/249/61(2) बीएनएस व धारा 132 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017।

<u>बरामदगी-</u>

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए, दिनाँक 01/08/2025 को समय 07.43 पीएम व 07.50 पीएम की voice काल रिकार्डिंग, जिसमें जीएसटी लागइन पासवर्ड की बात कही गयी है बरामदे हुई हैं। मोबाइल में तस्वीरें एवं व्हाट्सएप चैट उपलब्ध पाई गई। व्हाट्सअप की पुरानी चैट डिलीट की हुयी है, मोबाइल फोन में अत्यधिक डिजिटल डाटा होने के कारण उसका फॉरेंसिक परीक्षण कराया जायेगा ।

<u>पुलिस टीम-</u>

1. निरीक्षक संजय कुमार धीर अपराध शाखा बरेली (मुख्य विवेचक)
2. उ0नि0 वीरभद्र सिंह थाना किला बरेली (सहायक विवेचक)
3. उ0नि0 सतेंद्र कुमार सर्विलांस सेल बरेली
4. HC सतेंद्र कुमार साइबर सेल बरेली
5. HC विकास कुमार सर्विलांस सेल बरेली